निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**9 आषाढ़ 1938 (श0)**

**(सं0 पटना 544) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016**

सं0 2/सी0–3–30150/2005 –सा0प्र0—**1855**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**

**3 फरवरी 2015**

श्री अशोक कुमार नं0–2, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–632/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चोरौत, सीतामढ़ी सम्प्रति सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक–538 दिनांक 08.07.2005 एवं ज्ञापांक–14 दिनांक 25.08.2005 द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, गंभीर अनियमितता तथा सरकारी राशि गबन एवं दुर्विनियोग के प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4767 दिनांक 02.05.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आयुक्त के सचिव तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–204 दिनांक 28.01.2014 द्वारा प्राप्त आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के जाँच प्रतिवेदन में श्री अशोक कुमार नं0–2 के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक–9100 दिनांक 03.07.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुये श्री कुमार से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए अभ्यावेदन की मांग की गयी।

श्री कुमार के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 21.07.2014 समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उन्हें विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' भी नहीं उपलब्ध कराया गया बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर दिया गया। उक्त मामला वर्ष 2005 का था और वर्ष 2011 में प्रारंभ की गयी जो नियमतः उपयुक्त नहीं था। उनके प्रभार मुक्त होने के 15 दिनों के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर आधारित यह मामला है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। साथ ही यह भी कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन बेबुनियाद, विरोधाभाषी एवं तथ्य से परे था। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि विभागीय कार्यवाही में ससमय सूचना न तो इन्हें प्राप्त हुआ और न ही उपास्थापन पदाधिकारी को जो प्रतिवेदन से स्वतः स्पष्ट है। उक्त आधार पर श्री कुमार द्वारा आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि श्री कुमार को यदि विभागीय कार्यवाही में निर्धारित समय की सूचना ससमय प्राप्त नहीं हुआ था, तो उन्हें स्वयं संचालन पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पुनः समय निर्धारित करने का अनुरोध करना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि जिससे यह प्रमाणित हो कि समय पर सूचना नहीं

प्राप्त होने के संबंध में उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपना पक्ष रखने हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री कुमार के द्वारा जानबूझकर विभागीय कार्यवाही में अपना पक्ष रखने में उदासीनता बरती गयी है। श्री कुमार दो प्रखण्डों के प्रभार में थे ऐसी स्थिति में इन्हें मुख्यालय छोड़ने से पहले अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ना चाहिए था, लेकिन इनके स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मात्र कार्यालय को सूचना दी गयी थी। इंदिरा आवास योजना में बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित आरोपों के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा Specific स्पष्टीकरण न देकर अप्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख किया गया है जबकि दस्तावेजों/साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि इंदिरा आवास योजना सं0 18/04–05, 34/04–05, 40/04–05, 64/04–05, 37/04–05 में अनियमितताएँ बरती गयी है। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक 21.07.2014 को अस्वीकृत करते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् **''निन्दन एवं संचायात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक''** का दण्ड निरूपित करने का विनिश्चय किया गया।

उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 13362 दिनांक 23.09.2014 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2472 दिनांक 20.01.2015 द्वारा प्रस्तावित दण्ड में सहमति संसूचित की गयी।

प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अशोक कुमार नं0–2, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–632/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चोरौत, सीतामढ़ी सम्प्रति सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है–

**(क) निन्दन (वर्ष 2005–06)**

**(ख) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।**

**आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज0 दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**अनिल कुमार,**
सरकार के अपर सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण) 544–571+10–डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**